मंत्रिमंडल के लिए सितंबर , 2021 हेतु मासिक सारांश

भाग 1 **अवर्गीकृत**

असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में दशकों पुराने संकट को समाप्त करने के लिए, नई दिल्ली में दिनांक 04.09.2021 को भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूहों (केएलएनएलएफ, पीडीसीके, यूपीएलए, केपीएलटी) के प्रतिनिधियों के बीच माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते के बाद, 1000 से अधिक सशस्त्र काडर हिंसा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को शुरू करने हेतु, केंद्रीय सरकार और असम सरकार पांच वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज देगी।

2. ब्रू समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 01.09.2021 को नई दिल्ली में माननीय गृह मंत्री ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक भी की।

3. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (के) निकी समूह के साथ एक वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 08.09.2021 को युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और इस समूह के 200 से अधिक काडर 83 हथियारों के साथ शांति प्रक्रिया में शामिल हुए।

4. मणिपुर के यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट [यूपीएफ] और कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन [केएनओ] के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (एसओओ) समझौते को दिनांक 01.09.2021 से 28.02.2022 तक और छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

5. माननीय गृह मंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों, मुख्य सचिवों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ वामपंथी उग्रवाद स्थिति की समीक्षा के लिए दिनांक 26.09.2021 को एक बैठक की।

6. केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 13.09.2021 को निदेशक, आसूचना ब्यूरो (डीआईबी) और महानिदेशक (सीआरपीएफ) के साथ वामपंथी उग्रवाद स्थिति की भी समीक्षा की।

7. केन्द्रीय गृह सचिव ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए की गई विकास पहलों की प्रगति और वर्तमान स्थिति की समीक्षा हेतु दूरसंचार विभाग, वित्त सचिव एवं सचिव व्यय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा डाक विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 17.09.2021 को बैठक की।

8. केंद्रीय गृह सचिव ने आरसीपीएलडब्ल्यूईए में प्रगति के संबंध में दिनांक 18.09.2021 को मुख्य सचिव, महाराष्ट्र को अर्ध शासकीय पत्र लिखा था।

9. इसके अलावा, दिनांक 18.09.2021 को, केंद्रीय गृह सचिव ने विभिन्न मुद्दों के बारे में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित सभी राज्यों को अवगत कराने के लिए उनको पत्र लिखा था।

10. विशेष सचिव (आईएस) की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.2021 को एसआरई समिति की बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंस) आयोजित की गई जिसमें बिहार, केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत वार्षिक कार्य योजना (एडब्ल्यूपी) 2021-22 को अंतिम रूप दिया गया।

11. वामपंथी उग्रवाद प्रबंधन योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता (एसीएएलडब्ल्यूईएमएस) के तहत स्वीकृत संयुक्त कार्य बल (जेटीएफ) कैम्पों की प्रगति/स्थिति की समीक्षा के लिए अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) ने सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना झारखंड के गृह विभाग और आईबी के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 01.09.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस की।

12. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विकास योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए, अपर सचिव (एलडब्ल्यूई) ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 06.09.2021 और 07.09.2021 को बैठकें कीं। इसके अलावा, एएस (एलडब्ल्यूई) ने दिनांक 14.09.2021 को वामपंथी उग्रवादी काडरों/वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय अन्य समूहों को धन उपलब्ध होने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

13. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी को कुल 18.84 करोड़ रुपये जारी किए गए। सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों को कुल 71.71 करोड़ रुपये जारी किए गए।

14. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के बारे में राज्य सरकार/सीएपीएफ को अवगत कराने के लिए उन्हें एक एडवाइजरी जारी की गई है।

15. सीएपीएफ की कुल 226 कंपनियों को कानून और व्यवस्था संबंधी ड्यूटी के लिए विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार, हरियाणा, मेघालय, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और अंडमान और निकोबार) में तैनात किया गया था। इसके अलावा, बेंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र, कर्नाटक में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनांक 15.09.2021 से 19.09.2021 तक आईएस ड्यूटी पैटर्न पर सीआईएसएफ के 407 कर्मियों की तैनाती के लिए स्वीकृति दी गई है।

16. व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने दिनांक 27.07.2021 को अपनी बैठकों में 732.05 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से केंद्रीय क्षेत्र की योजना जैसे बीएसएफ एयर विंग, एयरक्राफ्ट, रिवरबोट और हेलीबेस को जारी रखने तथा 21087.11 करोड़ रुपये के परिव्यय से डीएपीएफ, सीपीओ और दिल्ली पुलिस की पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग परियोजना की अम्ब्रेला स्कीम्स को दिनांक 31.03.2021 से आगे जारी रखने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया है।

17. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45(1) के तहत 49 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई थी।

18. सितंबर, 2021 में, 2278.114 किलोग्राम स्वापक पदार्थों और साथ ही एलएसडी की 72291 बोतलें, स्यूडोफेड्रिन की 605 बोतलें, जोल्पिडेम की 9000 गोलियां और ट्रामाडोल की 8000 गोलियां जब्त की गईं। रिपोर्टाधीन, इस माह के दौरान, मादक पदार्थों की ट्रैफिकिंग में संलिप्तता के आरोप में कुल 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

19. आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर दिनांक 16.09.2021 को एग्मोंट प्लेस, ब्रुसेल्स में बेल्जियम के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं।

20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 21.09.2021 को जारी एडवाइजरी के अनुसार, दिनांक 31.10.2021 तक के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कोविड-19 प्रबंधन हेतु त्वरित और प्रभावी रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 28.09.2021 को आदेश जारी किया गया। इसके बाद, मैंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को अनुपालन सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु पत्र लिखा।

*****